

न्यायालय—श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—787 / 2005
 संस्थित दिनांक—14.11.2005
 फाइलिंग क.234503000262005

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी सूपखार,
 वनमण्डल कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला

परिवादी

/ / विरुद्ध / /

1—समेलाल पिता सक्दू अहीर, उम्र—46 वर्ष,
 निवासी—ग्राम आरमी, थाना गढ़ी,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—राजकुमार पिता मातू अहीर, उम्र—34 वर्ष,
 निवासी—ग्राम मगरवाड़ा, थाना मोतीनाला,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

3—धनसिंह पिता सुखीराम अहीर, उम्र—41 वर्ष,
 निवासी—ग्राम आरमी, थाना गढ़ी,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

4—बजरू पिता बुद्धू बैगा, उम्र—51 वर्ष,
 निवासी—ग्राम आरमी, थाना गढ़ी,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

आरोपीगण

/ / निर्णय / /

(आज दिनांक—07 / 02 / 2017 को घोषित)

1— आरोपीगण के विरुद्ध वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा—9, 27, 29, 30, 31, 35(6)(8) एवं सहपठित धारा—51 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—21.03.2005 को रात्रि 9:20 बजे सूपखार परिक्षेत्र के आरमी बीट के कक्ष क्रमांक—172, खुरखुरी पानी नामक स्थान कान्हा नेशनल पार्क कोर जोन में बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से वन्य प्राणी का शिकार करने के आशय से कुल्हाड़ी के साथ प्रवेश कर आग जलाई तथा वन्य प्राणी जंगली मुर्गी का शिकार किया।

2— परिवार संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—21.03.2005 को रात्रि 9:20 बजे आरोपीगण सूपखार परिक्षेत्र के आरमी बीट के कक्ष क्रमांक—172 खुरखुरी पानी नामक स्थान पर अंगार जलाकर बातचीत कर रहे थे। आशिफ हुसैन कुरैशी वनरक्षक बीट सूपखार

रात्रिकालीन गश्ती के दौरान सुरक्षा श्रमिक एवं अग्नि सुरक्षा श्रमिकों के साथ मौके पर पहुंचा और उसने घेराबंदी कर तीन आरोपीगण को मौके पर पकड़ा था तथा एक आरोपी जहर की शीशी व गुलेल लेकर फरार हो गया था। आरोपीगण से पूछताछ करने पर उन्होंने जंगल जाकर जंगली मुर्गी का शिकार कर मांस पकाकर खाना स्वीकार किया। मौके पर आरोपीगण के पास से लाल जंगली मुर्गी का पका हुआ मांस लगभग 400 ग्राम, एक नग एल्युमिनियम की गंजी, एक कुल्हाड़ी, कनकी(चावल), माचिस, फरसी व अन्य सामान जप्त कर जप्तीपंचनामा बनाया गया। उपरोक्त आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध पी.ओ.आर. क्रमांक-9865/2008, अंतर्गत वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 (संशोधित 1991) की धारा-9, 29, 30, 31, 32, 35(6), 50 एवं 51 व के तहत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौके का पंचनामा, जप्तीनामा, आरोपीगण व साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-9, 27, 29, 30, 31, 35(6)(8) एवं सहपठित धारा-51 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-21.03.2005 को रात्रि 9:20 बजे सूपखार परिक्षेत्र के आरमी बीट के कक्ष क्रमांक-172, खुरखुरी पानी नामक स्थान कान्हा नेशनल पार्क कोर जोन में बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से वन्य प्राणी का शिकार करने के आशय से कुल्हाड़ी के साथ प्रवेश कर आग लगाया तथा वन्य प्राणी जंगली मुर्गी का शिकार किया ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

5— आसिफ हुसैन कुरैशी प.सा.1 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना वर्ष 2005 की है। वह अपनी दल के साथ रात्रिकालीन गश्ती में था, तभी कक्ष क्रमांक-172 सूपखार परिक्षेत्र में आरोपीगण की आवाज सुनाई देने पर मौके पर गया तो अंगीठी जलती हुई दिखाई दी। आरोपीगण को घेराबंदी कर पकड़ा गया, परंतु एक आरोपी मौके से फरार हो गया था। आरोपीगण के पास से एल्युमिनियम की गंजी में रखा हुआ जंगली मुर्गी का बचा हुआ मांस जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-1 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तीनामा फार्म प्रदर्श पी-2 अनुसार आरोपी समेलाल, राजकुमार, धनसिंह से मांस, कुल्हाड़ी आदि जप्त किये, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने प्रदर्श पी-1 के पंचनामा में आरोपीगण व साक्षियों के हस्ताक्षर करवाए थे और आरोपीगण के विरुद्ध पी.ओ.आर. प्रदर्श पी-3 काटा

गया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जंगली मुर्गी का मांस दफनाने का पंचनामा प्रदर्श पी-4 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके तथा गवाहों के हस्ताक्षर हैं। उसने अपना बयान परिक्षेत्र सहायक सूपखार को प्रदर्श पी-5 अनुसार लिखकर दिया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण के पास प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने का कोई अनुज्ञापत्र नहीं था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना दिनांक-21.03.2005 की है। साक्षी ने कहा है कि आरोपीगण ने उसे बताया था कि शिकार की गई जंगली मुर्गी लाल रंग की थी। साक्षी ने कहा है कि पंचनामा, जप्तीनामा, पी.ओ. आर. की कार्यवाही मौके पर की गई थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि पके हुए मांस का रासायनिक परीक्षण नहीं कराया गया था।

6— दिलीप सिंह चौधरी प.सा.2 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-21.03.2005 को परिक्षेत्र सहायक के पद पर वन परिक्षेत्र सूपखार में पदस्थ था। उसके द्वारा पी.ओ.आर. क्रमांक-9865/08 दिनांक-21.03.2005 की विवेचना में घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने विवेचना में आरोपी समेलाल, राजकुमार, धनसिंह के बयान उनके बताए अनुसार लेख किये थे, जिसमें आरोपीगण ने बताया था कि उन्होंने एक राय होकर खुरखुरी नामक स्थान में जाकर वन्यप्राणी जंगली मुर्गी को मारकर उसका मांस खाया था। आरोपीगण के बयान प्रदर्श पी-7 से लगायत प्रदर्श पी-9 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उसने साक्षी मंगलसिंह, दिलीप कुमार, उमेन्द्रसिंह के कथन उनके बताए अनुसार लेख किये थे, जो प्रदर्श पी-10 से लगायत प्रदर्श पी-12 है। उसने मौके का पंचनामा प्रदर्श पी-13 बनाया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे वनरक्षक आसिफ हुसैन कुरैशी ने स्वयं का बयान लिखकर दिया था, जो प्रदर्श पी-5 है, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी समेलाल, धनसिंह, राजकुमार को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-14 तैयार किया था, जिसके ब से ब भाग पर उसके तथा आरोपीगण के हस्ताक्षर हैं। उसने मांस को दफनाने का पंचनामा प्रदर्श पी-4 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अपना लिखित बयान प्रदर्श पी-15 परिवाद में संलग्न किया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि पी.ओ.आर. कितने समय काटा गया था, इस बात का उल्लेख पी.ओ.आर. में नहीं है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि पंचनामा प्रदर्श पी-13 में इस बात का उल्लेख नहीं है कि जंगली मुर्गी को गुल्लक से मारा गया है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि जप्तशुदा मांस का किसी विशेषज्ञ से परीक्षण नहीं कराया गया है।

7— सुखराम प.सा.3 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-21.03.2005 को सूपखार रेंज में वन परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर पदस्थ था।

उसके द्वारा परिक्षेत्र सहायक डी.एस. चौधरी को पी.ओ.आर. क्रमांक-9865/08 दिनांक-21.03.2005 की जांच किये जाने हेतु प्रदर्श डी-1 के माध्यम से अधिकृत किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त पी.ओ.आर. की जांच कर निरीक्षण हेतु उसके समक्ष रखे जाने पर दस्तावेजों की सत्यता से आरोपीगण द्वारा अपराध किया जाना पाये जाने से प्रदर्श पी-16 का परिवाद पत्र उसके द्वारा पेश किया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। न्यायालय से जंगली मुर्गी का पका हुआ मांस को नष्ट किये जाने की अनुमति प्रदर्श पी-17 के माध्यम से प्राप्त कर मांस को विधिवत् नष्ट किया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने प्रकरण में विवेचना नहीं की। साक्षी ने कहा है कि उसने मौके पर जाकर निरीक्षण करने के पश्चात् दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि उसने आरोपीगण के विरुद्ध झूठा प्रकरण बनाया है।

8— दिलीप कुमार रजक प.सा.4 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-21.03.2005 को सूपखार परिक्षेत्र में वायरलेस अटेंडेंट के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह आशिक हुसैन कुरैशी वनरक्षक सूपखार के साथ रात्रि गश्ती में गया था। खुरखुरी पानी नाम स्थान जो कान्हा नेशनल पार्क कोर क्षेत्र में कुछ लोग आग जलाकर बैठे थे। उन लोगों ने घेराबंदी कर तीन व्यक्ति समेलाल, राजकुमार, धनसिंह को पकड़ा, जिसमें एक व्यक्ति भाग गया था, जिसका नाम बजरू था। आरोपीगण के पास से जंगली मुर्गी का मटन पका हुआ और एक एल्युमिनियम की गंजी, चावल, थैला, नमक, मिर्च और कुल्हाड़ी, एक फरसा, माचिस मिली थी, जिसे वनरक्षक सूपखार ने जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 अनुसार जप्त किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष प्रदर्श पी-1 व 13 का पंचनामा तैयार किया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष आरोपीगण के विरुद्ध पी.ओ.आर. काटी गई थी। आरोपीगण ने उसके समक्ष प्रदर्श पी-7 लगायत प्रदर्श पी-9 के बयान दिये थे, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष जंगली मुर्गी का पका हुआ मांस दफनाने की कार्यवाही की गई थी, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी-4 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अपना बयान प्रदर्श पी-11 परिक्षेत्र सहायक को दिया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि घटनास्थल पर ही उसके बयान ले लिये गए थे, यदि बयान अगले दिन लिये जाने की तारीख हो तो वह बात गलत है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि किस व्यक्ति से क्या जप्त हुआ था, वह नहीं बता सकता। साक्षी ने स्वीकार किया कि जब दस्तावेजों पर उसने हस्ताक्षर किये थे, तब दस्तावेजों पर उसके अतिरिक्त किसी अन्य साक्षी ने उसके सामने हस्ताक्षर नहीं किये थे। साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कार्यालयीन समय पर किया था।

9— मंगलसिंह धुर्वे प.सा.5 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह सूपखार परिक्षेत्र में रेस्ट हाउस में भोजन बनाने का कार्य करता है। उक्त दिनांक को वह आसिफ हुसैन कुरैशी के साथ गश्ती पर गया था, तब सुरतेली पानी सूपखार बीट के जंगल में अंगार जली हुई देखी, जहां उसने गश्तीदल के साथ घेराबंदी कर तीन लोगों को पकड़ा था, जिसमें से एक व्यक्ति भाग गया था। पूछताछ करने पर उन लोगों ने अपना नाम धनसिंह, समेलाल, राजकुमार बताया था और भागने वाले व्यक्ति का नाम बजरू होना बताया था। आरोपीगण अंगार जलाकर जंगली मुर्गी बना रहे थे, जिनसे मौके पर एक गंजी में जंगली मुर्गी का पका हुआ मांस, हल्दी, मिर्ची व कुल्हाड़ी मिली थी, जिसे वनरक्षक आसिफ हुसैन कुरैशी ने जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-1 एवं प्रदर्श पी-2 की कार्यवाही की थी, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष आरोपीगण के विरुद्ध पी.ओ.आर. प्रदर्श पी-3 काटा गया था। उसके बयान प्रदर्श पी-10 परिक्षेत्र सहायक सूपखार द्वारा लिया गया था और उसे पढ़कर सुनाया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पंचनामा प्रदर्श पी-13 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी समेलाल से जंगली मुर्गी का पका हुआ मांस व एल्युमिनियम की गंजी जप्त की गई थी। साक्षी ने शेष आरोपीगण से भी कुल्हाड़ी, हल्दी, मिर्च, चावल, माचिस इत्यादि की जप्ती होना स्वीकार किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि फिल्ड पर जाने की ड्यूटी उसकी नहीं होती। साक्षी ने स्वीकार किया कि किस व्यक्ति से क्या सामान जप्त हुआ था, वह नहीं बता सकता। साक्षी ने स्वीकार किया कि डिप्टी साहब ने दस्तावेज तैयार किये थे और उसके कहने पर उसने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने कहा है कि जब उसने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे, तो वहां बीट गार्ड भी थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने जंगली मुर्गी के लाल पंख नहीं देखे थे। साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने डिप्टी साहब के कहने पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि जप्त मांस का परीक्षण उसके सामने नहीं कराया गया था। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि आरोपीगण अपना काम करके वापस आ रहे थे, तब वन विभाग वालों ने आरोपीगण के साथ मारपीट की थी।

10— डॉक्टर एम.एम. खान प.सा.6 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक 22 मार्च 2005 को सी.बी.एफ. गढ़ी में वेटनरी सर्जरी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना गढ़ी के वनरक्षक ए.एच. कुरैशी द्वारा करीब तीन-चार सौ ग्राम पका हुआ मांस एल्युमिनियम के गंजे में उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसका परीक्षण करने पर उसने मांस किसी पक्षी का होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-18 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि विशेष तौर पर वह नहीं बता सकता कि मांस किस जीव का था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने मांस का रासायनिक परीक्षण नहीं किया था और न ही

उसे आर्युविज्ञान शाला में भेजा था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि रासायनिक परीक्षण के पश्चात् प्राप्त रिपोर्ट के आधार ही कहा जा सकता है कि मांस, हड्डी, खाल, बाल किसी विशेष प्रजाति के जीव के हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि पके हुए मांस से यह नहीं कहा जा सकता कि मांस किस जीव अथवा प्राणी का है, क्योंकि पकने के बाद मांस के एलीमेंट नष्ट हो जाते हैं।

11— प्रकरण परिवादी साक्षी आसिफ हुसैन कुरैशी प.सा.1, दिलीप सिंह चौधरी प.सा.2, सुखराम प.सा.3, दिलीप कुमार रजक प.सा.4, मंगलसिंह धुर्वे प.सा.5 ने यह कहा है कि आरोपीगण वनपरिक्षेत्र के आरमी बीट के कक्ष क्रमांक-172, खुरखुरी पानी नामक स्थान कान्हा नेशनल पार्क कोर जोन में जंगली मुर्गी का शिकार कर मांस पकाकर खा रहे थे, तभी गश्तीदल के सदस्यों ने उन्हें मौके पर मांस सहित पकड़ा था। परिवादी साक्षी डॉ एम.एम. खान प.सा.6 ने अपनी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-18 के विषय में यह स्वीकार किया है कि उसने जप्त मांस का रासायनिक परीक्षण नहीं किया था और न ही उसे प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा था, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर यह बात प्रमाणित होती कि वह मांस वन्य प्राणी जंगली मुर्गी का था। इसके अतिरिक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि पके हुए मांस की जांच से यह नहीं बताया जा सकता कि वह किस प्राणी का मांस है, क्योंकि पके हुए मांस में अवयव नष्ट हो जाते हैं। परिवादी साक्षियों के कथनों से यह स्पष्टतः प्रकट हो रहा है कि जब मांस जप्त किया गया था, तब वह पकाया जा चुका था और जंगली मुर्गी के अन्य भाग यदि जप्त नहीं किये गए थे, तब यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि जो मांस पकाया गया था, वह जंगली मुर्गी का ही था, इसलिए आरोपीगण द्वारा जंगली मुर्गी का शिकार करना प्रमाणित नहीं पाया जाता।

12— घटनास्थल सूपखार परिक्षेत्र के आरमी बीट के कक्ष क्रमांक-172 खुरखुरी पानी नामक स्थान की बताई गई है, जो कि कान्हा नेशनल पार्क का कोर जोन क्षेत्र है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-27/29 के अनुसार कान्हा नेशनल पार्क में बिना अनुज्ञा के प्रवेश करना प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित क्षेत्र में आग लगाना तथा हथियार के साथ प्रवेश करना भी दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अभियोजन साक्षी आसिफ हुसैन कुरैशी प.सा.1, दिलीप सिंह चौधरी प.सा.2, सुखराम प.सा.3, दिलीप कुमार रजक प.सा.4, मंगलसिंह धुर्वे प.सा.5 ने यह कहा है कि घटना दिनांक को आरोपीगण मौके पर आग जलाकर मांस पका रहे थे, इसलिए आरोपी समेलाल, राजकुमार, धनसिंह, बजरू से मांस, कुल्हाड़ी जप्त की गई थी। इस संबंध में पंचनामा प्रदर्श पी-1, प्रदर्श पी-13 तैयार किया गया था, जिस पर आरोपीगण के भी हस्ताक्षर लिये गए थे। आरोपी समेलाल से मौके पर ही पका हुआ मांस, आरोपी राजकुमार से कुल्हाड़ी, चावल, माचिस आरोपी धनसिंह से फरसी, नमक इत्यादि जप्त किये गए थे। इसके पश्चात् पी.ओ.आर. और अन्य विवेचना की कार्यवाही की गई थी। प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष ने साक्षी आसिफ प.सा.1 को यह सुझाव

दिया कि हर व्यक्ति घर पर माचिस, कुल्हाड़ी इत्यादि रखता है, जो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, परंतु परिवादी साक्षी मंगलसिंह प.सा.5 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि टटनास्थल खुरखुरी पानी लेख किया गया है, वह गलत है। साक्षी ने अपी साक्ष्य में कहा है कि सुरतेलीपानी नामक स्थान पर आरोपीगण को पकड़ा गया था। पी.ओ.आर. प्रदर्श पी-3 में स्थान खुरखुरी पानी होना उल्लेख किया गया है, परंतु प्रदर्श पी-3 में इस बात का उल्लेख नहीं है कि यह स्थान कोर क्षेत्र का स्थान है। प्रदर्श पी-6 का नक्शा भी अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है और इसमें लाल रंग से वह स्थान चिह्नित किया गया है, जिस स्थान पर आरोपीगण को पकड़ा गया था। इस प्रदर्श पी-6 के नक्शे के साथ वन विभाग का प्रमाणित नक्शा जिससे यह धारणा की जा सके कि यह स्थान कोर क्षेत्र का स्थान था, संलग्न नहीं किया गया है। उपरोक्त स्थिति में जिस स्थान पर आरोपीगण को पकड़ा गया था, वह स्थान कान्हा नेशनल पार्क का कोर क्षेत्र था, संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा है, परंतु समस्त परिवादी साक्षी इस बिन्दु पर अखण्डित रहे हैं कि आरोपीगण कान्हा नेशनल पार्क में आग जलाकर एवं हथियार सहित पकड़े गए थे, इसलिए आरोपीगण पर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-27, 29, 30, 31, 35(6)(8) एवं सहपठित धारा-51 का अपराध किया जाना प्रमाणित पाया जाता है। अतः आरोपीगण को उक्त धाराओं में सिद्धदोष पाया जाता है।

13— आरोपीगण द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति को देखते हुये तथा इस प्रकार के अपराध से वन संपदा को हो रहे नुकसान एवं राष्ट्रीय उद्यान की सुरक्षा के प्रभावित होने से आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। अतः दंड के प्रश्न पर आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुने जाने हेतु निर्णय कुछ देर बाद पुनः प्रस्तुत हो।

(श्रीष कौलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर म0प्र0

पुनश्च:-

14— आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता को दंड के प्रश्न पर सुना गया। उनका कहना है कि आरोपीगण द्वारा यह अपराध प्रथम बार किया गया है। आरोपीगण वनक्षेत्र के ही रहने वाले हैं, इसलिए उन्हें नियमों की जानकारी नहीं थी। अतः आरोपीगण को सरल दंड का आदेश दिया जावे।

15— आरोपीगण के द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-27, 29, 30, 31, 35(6)(8) एवं सहपठित धारा-51 के अंतर्गत अपराध किया जाना प्रमाणित पाया गया है। आरोपीगण द्वारा बिना किसी अनुज्ञप्ति के राष्ट्रीय उद्यान में अवैध रूप से प्रवेश करने तथा आग जलाने का अपराध किया जाना प्रमाणित पाया गया है, परन्तु चूंकि वे ग्रामीण हैं एवं उन्हें सभी नियमों की जानकारी नहीं होगी ऐसा मानकर उन्हें सरल दंड दिया जाना उचित

होगा। आरोपीगण वर्ष 2005 से विचारण का सामना कर रहे हैं। समस्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए आरोपीगण को वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-27, 29, 30, 31, 35(6)(8) एवं सहपठित धारा-51 के अपराध के लिए न्यायालय अवसान अवधि तक का कारावास तथा 1000-1000/- (एक-एक हजार रुपये) इस प्रकार कुल 4000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि न चुकाये जाने की दशा में प्रत्येक आरोपी को एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।

16- मामले में आरोपी समेलाल, राजकुमार, धनसिंह दिनांक-22.03.2005 से दिनांक-24.03.2005 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहें हैं एवं आरोपी बजरू दिनांक-13.08.2010 से दिनांक-19.08.2010 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। जिसके संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र तैयार किया जाये।

17- प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

18- आरोपीगण को निर्णय की एक प्रति तत्काल निःशुल्क प्रदान कि जावे।

19- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति जंगली मुर्गी का मांस न्यायालय की अनुमति से पूर्व में ही नष्ट किया जा चुका है तथा जप्तशुदा 1 नग एल्युमिनियम की गंजी, 1 नग कुल्हाड़ी, कनकी(चावल), माचिस, फरसी, गढ़ा नमक, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर व सीमेंट बोरी का थैला वन विभाग द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये गए हैं, जो मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किये जावें, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

**निर्णय खुले न्यायालय में घोषित
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया
गया।**

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट